

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1288]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2016/ज्येष्ठ 4, 1938

No. 1288]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2016/JYAISTHA 4, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 24 मई, 2016

**का.आ. 1874(अ).**—भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2647 (अ), तारीख 28.09.2015 के हिंदी पाठ में “गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय” के स्थान पर “गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय” पढ़ें।

[फा. स. ए-35011/08/2015— प्रशा. III]

के. वी. आर.मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th May, 2016

**S.O. 1874(E).**—In the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, number S.O. 2647 (E), dated 28.09.2015 in Hindi Version, for “गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय” read “गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय”.

[F. No. A-35011/08/2015 – Admn.III]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.